2018/00156

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर

सतपाल वगैरा बनाम स्टेट व मोहनलाल वगैरा

अपील प्रकरण सं0 51/2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख
16.08.2018	अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। अपील बाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। पत्रावली वास्ते बहस स्थगन प्रार्थना पत्र दिनांक 27.08.2018 को पेश हो ।	
27.08.2018	अपीलार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। स्थगन प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता अपीलार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि चक 10 टी.के. डब्ल्यू प0न0 32/215 मुरब्बा नम्बर 8 के किला नम्बर 1 व 2 में रास्ता पिछले 50 वर्षो से चल रहा है। प्रार्थीगण को इसके अलावा अन्य रास्ता उपलब्ध नहीं है अगर यह रास्ता बंद हो जाता है तो प्रार्थीगण को इसके अलावा अन्य रास्ता उपलब्ध नहीं है अगर यह रास्ता बन्द हो जाता है तो प्रार्थीगण अपने खेत में प्रवेश नहीं कर सकेगें, काश्त नहीं कर सकेंगे और प्रार्थीगण को नापूरा होने वाला नुकसान होगा। ऐसी सूरत में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की कियन्विति स्थगित फरमाई जानी न्यायहित में आवश्यक व उचित है। प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन व अपरिमेय क्षति का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित है। अतः स्थगन प्रार्थना–पत्र पेश करके अर्ज है कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 08.06.2018 व उसकी पालना में किये गये आदेश दिनांक 11.06.2018 की कियान्विति ताफैसला अपील स्थगित फरमाई जावे। बहस एवं प्रस्तुत अभिलेख के आलोक में मामले पर विचार किया। उप तहसीलदार लालगढ जाटान के आदेश दिनांक 08.06.2018 व उसकी पालना में शुद्वि दिनांक 11.06.2018 अनवानी चक 10 टीकेडब्ल्यू मुरब्बा नम्बर 8 के किला नम्बर 1 व 2 में रास्ता दर्ज में लिपिकीय त्रुटि को जो दुरूस्त किया गया है वो विधि सम्मत् प्रतीत नहीं होता है। लिपिकीय त्रुटि धारा 136 एल.आर.एक्ट की शक्तियां (लैण्ड रिकॉर्ड ऑफीसर) उपखण्ड अधिकारी को प्रदत है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कार्य किया जो विदाउट ज्यूरीडेक्शन होने से प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरीत है इसलिए सुविधा का सन्तुलन अपीलार्थीगण के पक्ष में है। फलस्वरूप स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अतः इस आश्य की अस्थाई निषेधाज्ञा से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त चक 10 टी.के. डब्ल्यू के मुरब्बा नम्बर 8 के किला नम्बर 1 व 2 में रास्ता दर्ज को दुरूस्त करने के उप तहसीलदार लालगढजाटान आदेश दिनांक 08.08.2018 की कियान्वति आगामी तारीख पेशी दिनांक 12.09.2018 तक स्थगित की जाती है। पत्रावली वास्ते तलबी एवं रिकार्ड तलबी हेतु दिनांक 12.09.2018 को पेश हो। अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर	

29/4/2026

अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी बहस में अवगत करवाया कि उक्त विवादित रास्ता के सम्बन्ध में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निगरानी/टीए/627/2020/गंगानगर अनवानी सतपाल बनाम महोन लाल में पारित आदेश दिनांक 10.08.2023 के विरूद्व रेस्पोडेन्ट्स द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में अपील पेश की हुई है जो वर्तमान में विचाराधीन है। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त अपील के विचाराधीन रहने तक विचाराधीन अपील को होईकोर्ट के आदेश तक स्थगित किये जाने हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट के कथनानुसार उक्त अपील को हाईकोर्ट के आदेश के इन्तजार में बन्द किया जाता है। हाईकोर्ट के आदेश होने पर उक्त अपील को पुनः नये नम्बर पर दर्ज किया जाकर सुनवाई हेतु निर्धारित किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें एवं बाद तकमील जिला अभिलेखागार में जमा करवाई जावें।

आदेश सुनाया गया।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

29/4/2026

अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी बहस में अवगत करवाया कि उक्त विवादित रास्ता के सम्बन्ध में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निगरानी/टीए/627/2020/गंगानगर अनवानी सतपाल बनाम महोन लाल में पारित आदेश दिनांक 10.08.2023 के विरूद्व रेस्पोडेन्ट्स द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में अपील पेश की हुई है जो वर्तमान में विचाराधीन है। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त अपील के विचाराधीन रहने तक विचाराधीन अपील को होईकोर्ट के आदेश तक स्थगित किये जाने हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट के कथनानुसार उक्त अपील को हाईकोर्ट के आदेश के इन्तजार में बन्द किया जाता है। हाईकोर्ट के आदेश होने पर उक्त अपील को पुनः नये नम्बर पर दर्ज किया जाकर सुनवाई हेतु निर्धारित किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें एवं बाद तकमील जिला अभिलेखागार में जमा करवाई जावें।

आदेश सुनाया गया।

अति० जिला कलक्टर (प्र०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner